न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-538RAAJodhpur2022-157RTA223 Babulal etc Vs Bhiyaram etc

01. बाबुलाल पुत्र घीसाराम
02. पुनाराम पुत्र घीसाराम
दोनो जातियान् माली निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. भीयाराम पुत्र घमण्डाराम
2. वीरमराम पुत्र घमण्डाराम
3. भैराराम पुत्र उरजाराम उर्फ अर्जुनराम
4. श्रीमती माडी देवी पत्नी उरजाराम उर्फ अर्जुनराम जातियान् माली, निवासीगण- ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
5. गिरधारी पुत्र जग्गाराम
6. हेमाराम पुत्र जग्गाराम
7. झमु पुत्री जग्गाराम
8. मोहनी पत्नी जगाराम सभी निवासीगण ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
9. आईसीआईसीआई बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020 बाबुलाल बनाम भीयाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री शंकरसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो से आठ
श्री के.एल. जगत्यानी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 24 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020 बाबुलाल बनाम भीयाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 06 सितबंर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट के विरुद्ध ग्राम खेजड़ला के खसरा नं. 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा के संबंध में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को दावा स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06 सिंतबर 2022 को अपीलधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश होने पर की गयी आपत्ति का कोई विवेचन विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रूटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की, जिसमें वादीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो नजरी नक्शों को निर्णय का अंग शुमार कर उक्त नजरी नक्शों एवं कब्जे के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा उक्त नजरी नक्शे का अवलोकन नहीं किया जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट कब्जे अनुसार एवं विधि अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि खसरा नं. 853/1, 853/14, 853/30 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती भूमि बंट में रखने में भूल की गयी है। किसी भी भूमि का बंटवाड़ा किया जाता है तो पहले उस भूमि में रास्ता रखा जाना अनिवार्य है, लेकिन मौका कमिश्नर ने भूमि खसरा नं. 853, 853/14, 853/30 के पक्षकारों की खातेदारी की शामलाती बंट एवं हिस्से में रख दी गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव पर पेश की गई आपति को नजरअंदाज कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित करने में भूल की गई है। बंटवाड़ा प्रस्ताव में खसरा नं. 853/29 के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नं. 583/30 की शामलाती भूमि को रखा गया है, जबकि खसरा नं. 853/30 के उतरी दिशा की ओर खसरा नं. 853/2 में स्थित गैर मुमकिन रास्ता मौजूद है। जब वादीगण तथा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं. 853/1 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 853/2 मौजूद है तो नया रास्ता स्थापित करने में तहसीलदार द्वारा विधिक भूल की गयी है। भूमि खसरा नं. 853/2 गैर मुमकिन रास्ता के दक्षिण दिशा की ओर खसरा नं. 853/29 की भूमि आयी हुई है। खसरा नं. 853/29

राजस्व अपील प्राधि
जोधपुर

... गया, खसरा

के पूर्वी दिशा की ओर पांच भाग किये हुए है, जिसके अनुसार खसरा नं. 853/29 के पूर्वी दिशा की ओर वादी संख्या एक व दो की भूमि तथा वादी संख्या एक व दो की भूमि के पूर्वी दिशा की ओर वादी संख्या तीन से छः की भूमि तथा वादी संख्या तीन से छः की भूमि के पूर्वी दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या एक की भूमि तथा प्रतिवादी संख्या एक की भूमि के पूर्वी दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या दो की भूमि तथा प्रतिवादी संख्या दो की भूमि के पूर्वी दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या तीन व चार की भूमि आयी हुई है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण की भूमि के उतरी दिशा की ओर खसरा नं. 853/2 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिंदु पर कोई आदेश पारित किये बिना ही केवल बंटवाड़ा प्रस्ताव को आधार मानकर अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक भूल की गई है। राजस्थान टीनेंसी नियम 18 से 21 के अनुसार किसी भी पक्ष को पूर्ण भूमि न तो अच्छी किस्म की और न खराब किस्म की दी जायेगी, लेकिन मौजूदा मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 853/31 की भूमि प्रतिवादी संख्या एक भीयाराम को रास्ते के समीप भूमि देने में भारी भूल की गयी है, जबकि प्रत्येक पक्षकार को रास्ते पर लगती भूमि दी जानी अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 853/30 किस आधार पर पक्षकारों की शामलाती भूमि रखी गयी है, उसका कोई कारण निर्णय में नहीं बताया गया हैं इसके अलावा मौजूदा मामले में वादीगण की भूमि खसरा नं. 853/29 में रहवासीय मकान एवं ढाणी स्थित है तथा उस खसरा नं. 853/29 के पूर्वी दिशा की ओर स्थित भूमि पर उसका कब्जा व काश्त है एवं सुविधा की दृष्टि से भी वादीगण के समीप भूमि है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं कर पक्षकारों के कब्जे अनुसार भूमि बंटवाड़े में नही रखकर कब्जे से भिन्न स्थान पर रख

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दी गयी है एवं नया रास्ता स्थापित करने में कानूनी भूल की गयी है जो केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। बंटवाड़ा प्रस्ताव जारी करने हेतु कोई नोटिस अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हुए है तथा न ही बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर आदि किये हुए है। मौके पर रामनिवास नाम का व्यक्ति मौतबीर मौजूद होना बताया है, रामनिवास पुत्र बगदाराम जाति मेघवाल निवासी- खेजड़ला तहसील बिलाड़ा हल्का पटवारी के घर पर खाना पकाने व साफ सफाई का काम करता है। इससे स्पष्ट है कि विभाज प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020 बाबुलाल बनाम भीयाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 06 सितबंर 2022 को निरस्त किया जावें एवं मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव की रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवायी जाकर अंतिम निर्णय पारित करने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी का पूर्व में पारिवारिक सहमति से बंटवाड़ा हो चुका है, उसी अनुसार अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स मौके पर काबिज है। तहसीलदार बिलाड़ा विभाजन नियमों की पूर्ण पालना करते हुए तथा कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट द्वारा प्रस्ततु नजरी नक्शे के बजाय भूमि के कम टुकड़े हुए जिससे पक्षकारान् को एक स्थान पर ही अधिक भूमि प्राप्त हुई है तथा भूमि के टुकड़े भी कम हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्तियों को विधिसम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31.03.2022 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम{राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा विभाजन करते वक्त सभी खातेदारान् के बंट में आने वाली भूमि में आवागमन के लिए रास्ता रखा गया है। अपीलांट का उज्र है कि खसरा नं. 853/14 एवं खसरा नं. 853/30 सामलाती रख दिया गया है। इस संबंध में विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक उक्त खसरान् की भूमि का रास्ते के रूप में रखा गया है जो सभी खातेदारान् के खाते में सामलाती रखा गया है, जिससे अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं हैं। खसरा नं. 853/31 से खसरा नं. 853/35 के आवागमन के लिए रास्ता खसरा नं. 853/30 रखा गया है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने से अपीलांट्स के उज्र मानने योग्य नहीं हैं। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के द्वारा नजरी नक्शे में भूमि के बताये टुकड़ो से कम टुकड़े हुए है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020 बाबुलाल बनाम भीयाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 06 सितबंर 2022 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

... 1.03 बीघा, खसरा

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

01. बाबुलाल पुत्र घीसाराम
02. पुनाराम पुत्र घीसाराम

दोनो जातियान् माली निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. भीयाराम पुत्र घमण्डाराम
2. वीरमराम पुत्र घमण्डाराम
3. भैराराम पुत्र उरजाराम उर्फ अर्जुनराम
4. श्रीमती माडी देवी पत्नी उरजाराम उर्फ अर्जुनराम जातियान् माली, निवासीगण- ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
5. गिरधारी पुत्र जग्गाराम
6. हेमाराम पुत्र जग्गाराम
7. झमु पुत्री जग्गाराम
8. मोहनी पत्नी जगाराम सभी निवासीगण ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
9. आईसीआईसीआई बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020 बाबुलाल बनाम भीयाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 24 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार, श्री शंकरसिंह राठौड़, श्री के.एल. जगत्यानी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020 बाबुलाल बनाम भीयाराम वगैरह में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 06 सितबंर 2022 यथावत रखे जाते हैं।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

24.7.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

24.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर